

753

5000Rs.



विलेख हस्तांतर पत्र

कुल कीमत: Rs. 3,51,000/-

स्टाम्प: Rs. 43,900/-

स्टाम्प नं: 5979 dt 12/3/93

स्थल खजाना गुडगावां से खरीद

किया

यह विलेख हस्तांतर पत्र आज दिनांक 30/4/93 हरियाणा राज्य

औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड चण्डीगढ़ जो इसके बाद विक्रेता कहलाएगा, एक ओर से

तथा दूसरे ओर से M/S STIC PENS PVT. LTD THROUGH ITS MANAGINGDIRECTOR MR. SUNIL CHANRA R/O C-101, PH II, MAYAPURIINDL. AREA NEW DELHI जिसको अंतरिती

कहा जायेगा।

यहां वर्णित स्थल जिसे विक्रेता हस्तारित करने का इच्छुक है इसकी जायदाद है तथा

इस जायदार के पूरे हक हासिल है।

For STIC PENS (P) LTD.,

Managing Director

For Haryana State Indl. Dev. Corp., Ltd.

A.G.M. (U.A.)

पेज नं २



:: २ ::

२) यह स्थल अंतरिती को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 31-10-89 पर आवंटित किया गया था १ औद्योगिक क्षेत्र में इस भवन को केवल औद्योगिक स्थापना के लिए प्रयोग किया जाना था, जिससे सम्बन्धित विक्रय समझौते में ही तय हो गई थी। यह समझौता दोनों पक्षों के बीच दिनांक 17-2-92 को हुआ।

३) अंतरिती ने उपरोक्त स्थान के लिए नियत की गई किश्तों में सारी राशि रुपये ₹ 3,51,000/- की अदायगी की दी और बाकी राशि रकम रुपये NIL हरियाणा वित्तीय निगम बाबत रजिदी अदा करेगा।

४) अब यह विलेख इस बात का प्रमाण है कि इस समझौते को कार्यन्वित करने तथा अंतरिती की प्रसविदा को ध्यान में रखते हुए जो राशि रुपये ₹ 3,51,000/- अंतरिती द्वारा अदा की गई है। विक्रेता स्थान क्रमांक 542, P11 V ^{U. P. N. R. GURGAON} क्षेत्रफल वर्ग मीटर में 450 sq. mtr. अंतरिती को हस्तान्तरित करता है जिसका विवरण विक्रेता के कार्यालय की योजना फाईल में दर्शाया गया है तथा जिस पर निदेशक शहरी तथा ग्रामीण सम्पदा विभाग में दिनांक 30/11 दिन NOV, 90 जो कि अब स्थान के नाम से जाना जाएगा, ने निम्न शर्तों पर हस्ताक्षर किये हैं।

For STIC PENS (P) LTD.,

Manu
Managing Director

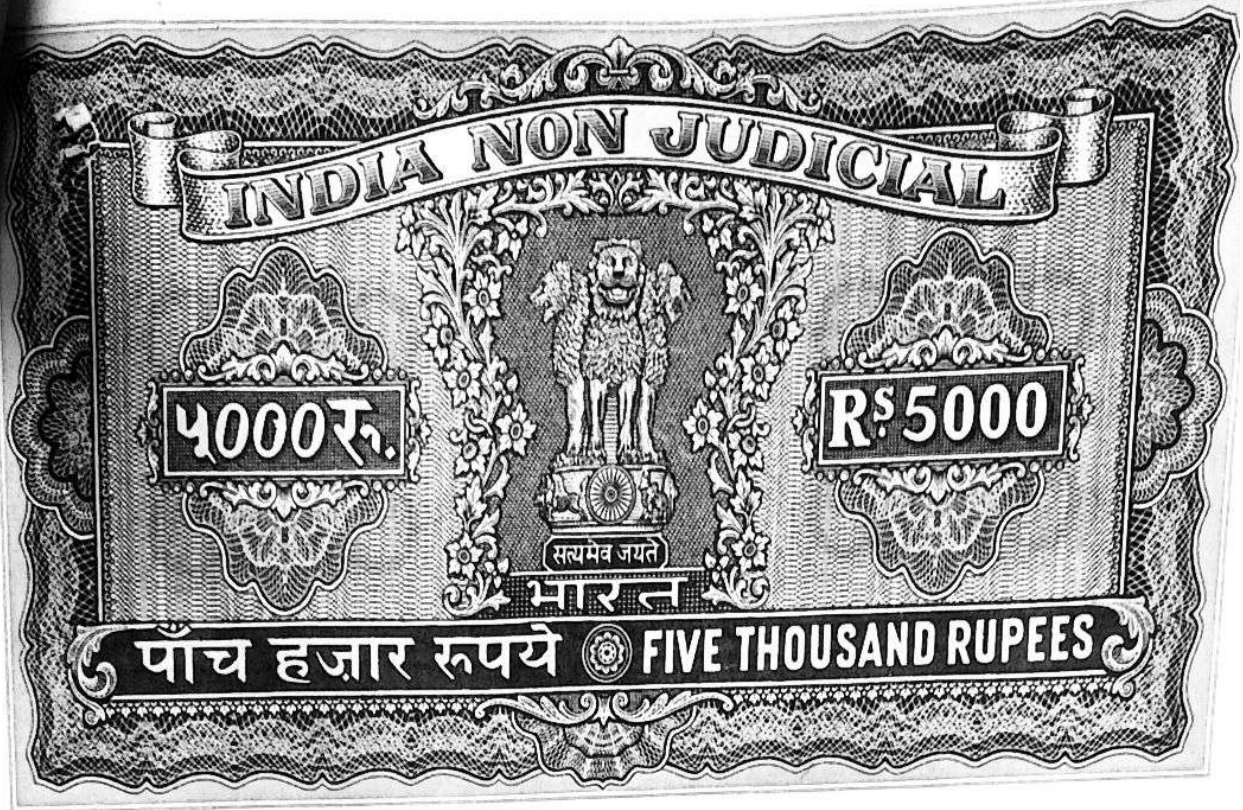
For Haryana State Indl. Dev. Corpn. Ltd.

A. M. (I.A.)
A.M. (I.A.)



:: ३ ::

- ५) अंतरिती निगम को सारी अतिरिक्त राशि जिस की अदायगी भूमि की कीमत बढ़ जाने से निगम की ओर से सरकार को देय होगी अदा करेगा ।
- ६) (क) यह कि भूमि अधिग्रहण निगम १८९४ की धारा १८ के अधीन किसी न्यायिक अदालत का सक्षम अधिकारी के निर्णय के अनुसार भी भूमि जिस पर प्लॉट स्थित है, कि मूल्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप तथा अन्य प्रकार के खर्च जिसे निगम सरकार को अदा किया होगा, अंतरिती को वह राशि के भुगतान के लिए भेजे गये पत्र की तिथि से तीस दिन के अन्दर निगम का भुगतान नहीं करता तो उसे राशि पर १८ प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा ।
- ६) यह की तमाम खानों, खनिजों जो कि ऐसी भूमि के नीचे हों सरकार उसकी मालिक होगी, और उसकी खोज के लिए जिन अधिकारों और जल प्रयोग की आवश्यकता समझी जाएगी सरकार उनका प्रयोग करेगी । सरकार यदि आवश्यक समझेगी, तो कथित भूमि पर सतह पर खुदाई करा सकती है । बनी इमारतों की निर्माण लाइन को समाप्त कर सकती है, और इस काम के लिए जो भी मुनासिब समझेगी करेगी ।



:: ४ ::

७) यह कि निकट भविष्य में यदि सरकार औद्योगिक सम्पदा के इर्द गिर्द भूमि पार्क बनाये या किसी सार्वजनिक कार्यो के लिए अधिग्रहण करती है तो अधिग्रहण मूल्य और भूमि के उस भाग के विकास की राशि निगम द्वारा सरकार को अदा की जायेगी और इस प्रकार अंतरिती को निगम द्वारा राशि की अदायेगी के लिए भेजे गए पत्र की तिथि के ३० दिन के भीतर निगम की अंतरिती का भुगतान करना होगा। और यदि अंतरिती समय के भीतर इस भुगतान को नहीं करेगा तो उसको राशि के साथ-साथ १८ प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी अदा करना होगा।

८) यह कि अंतरिती को जल सप्लाई, लि निकास, नालियो, नालों आदि जैसे विकास कार्यो पर खर्च की गई राशि को निगम द्वारा सरकार को अदा की गई है, वह समानुपाते के १० सालाना किश्तों में ०७ के प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। अंतरिती को निगम की ओर से भेजी गई पिछली किश्त की अदायेगी की चिट्ठी की रसीद के ३० दिन के भीतर अदा करनी होगी और यदि वह ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंतरिती को मूल राशि १८ प्रतिशत सालकी दर से ब्याज भी अदा करना होगा। यदि अंतरिती निगम द्वारा राशि की अदायेगी के लिए लिखी गई चिट्ठी की तिथि से ६ मास तक भुगतान नहीं कर पाता तो इसमें उल्लेखित पेरा ७ में दी गई शर्तों के अनुसार निगम कथित प्लॉट और उस पर बनी इमारत सहित अपने कब्जे में ले सकता है।



:: ५ ::

९) यह कि अंतरिती स्वयं की प्लाट का कब्जा निगम की सौंपता है तो इस शर्त में निगम की ओर से खर्च की गई आवश्यक राशि की कटौती के बाद की गई किशत की मूल राशि वापिस लेने का अधिकारी होगा या उसे ब्याज की हानि उठानी पड़ेगी । ऐसी सूरत में जब तक प्लाट पर इमारत का निर्माण किया किया जा चुका हो तो अंतरिती को चाहिए कि एक माह के भीतर वहां से इमारती सामग्री और मशीनों आदि को उठा ले अन्यथा शर्तों के अनुसार अदाएगी न करने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त वस्तुएं सहित निगम की सम्पति समझी जाएगी और निगम इसकी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति को जिम्मेदार नहीं होगा इस स्थिति में जबकि आवंटित की फैक्टरी बन्द हो जाती है या वह किशतों की अदाएगी का दूसरी शर्तों को समय पर पूरा नहीं करता तो प्रबन्ध निदेशक हरियाणा औद्योगिक विकास निगम को यह कानूनी अधिकार होगा कि वह कथित प्लाट तथा उससे सम्बन्धित इमारत तथा मशीनरी तथा पिछली तमाम शर्तों को अपने कब्जे में ले सकता है । आवंटित निगम द्वारा खर्च की गई आवश्यक राशि की कटौती के अपने मूल खरीद पूंजी को वापिस लेने का अधिकारी होगा । इस रकमे में से किशतों की अदाएगी ना होने या किसी और कारण से हुए जुमाने की कटौती की जाएगी । आवंटित को यह भी अधिकार होगा कि वह निगम द्वारा कब्जा जमाने की चिट्ठी की तिथि से

For STIC PENS (P) LTD.,

Managing Director

For Harvansh Singh, Joint Dev. Corp., Ltd.

A.G.M. (I.A.)

पेज न० ६



:: ६ ::

६ मास के अन्दर वहाँ लगी मशीनरी और सामग्री को हटा सकता है अन्यथा इसका बाद ऐसी तमाम सम्पत्ति पर बिना किसी हस्ताक्षर के निगम को अधिकार होगा कि निगम अन्तारिती की सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए ३० दिन का नोटिस देगा ।

१०) यह कि कोई भी आपत्ति जनक व्यापार बगैर पहले अनुमति लिए इन स्थानों अथवा इमारतों में नहीं किया जा सकता ।

११) यह कि निगम को पूरा अधिकार होगा कि वह तय शुद्ध तमाम शर्तों को अपने समक्ष अधिकारी या कर्मचारी से पूर्णतः पालन कराने में समक्ष हो ।

१२) यह कि निगम द्वारा तय शुद्ध तमाम शर्तों को अपने अधिकारी या कर्मचारी द्वारा पूर्ण रूप से पालन कराने का अधिकारी होगा और वह उन नियमों व शर्तों की पालन कराने के लिए अपनी हर कार्यवाही में समक्ष होगा और आवंटित से कथित प्लॉट पर

FOR STIC PENS (P) LTD.,

manish
Managing Director

For Haryana State Indl. Dev. Corp. Ltd.

A. G. M. (I.A.)
A.G.M. (I.A.)



:: ७ ::

आये पहले खर्च और उसकी वसूली के सम्बन्ध में उठाए गये समस्त अथवा कोई भी खर्च की वसूली के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही कर सकता है ।

१३) यह कि किसी प्रकार का झगड़ा या मतभेद उठाने की सूरत में इस मामले या अनुबन्धित हो तो इस मामले की मध्यस्थता के लिए समक्ष अधिकारी, सचिव हरियाणा औद्योगिक विभाग को भेजा जाएगा, मध्यस्थ द्वारा किया गया कोई भी निर्णय निगम तथा आवंटित को मान्य होगा ।

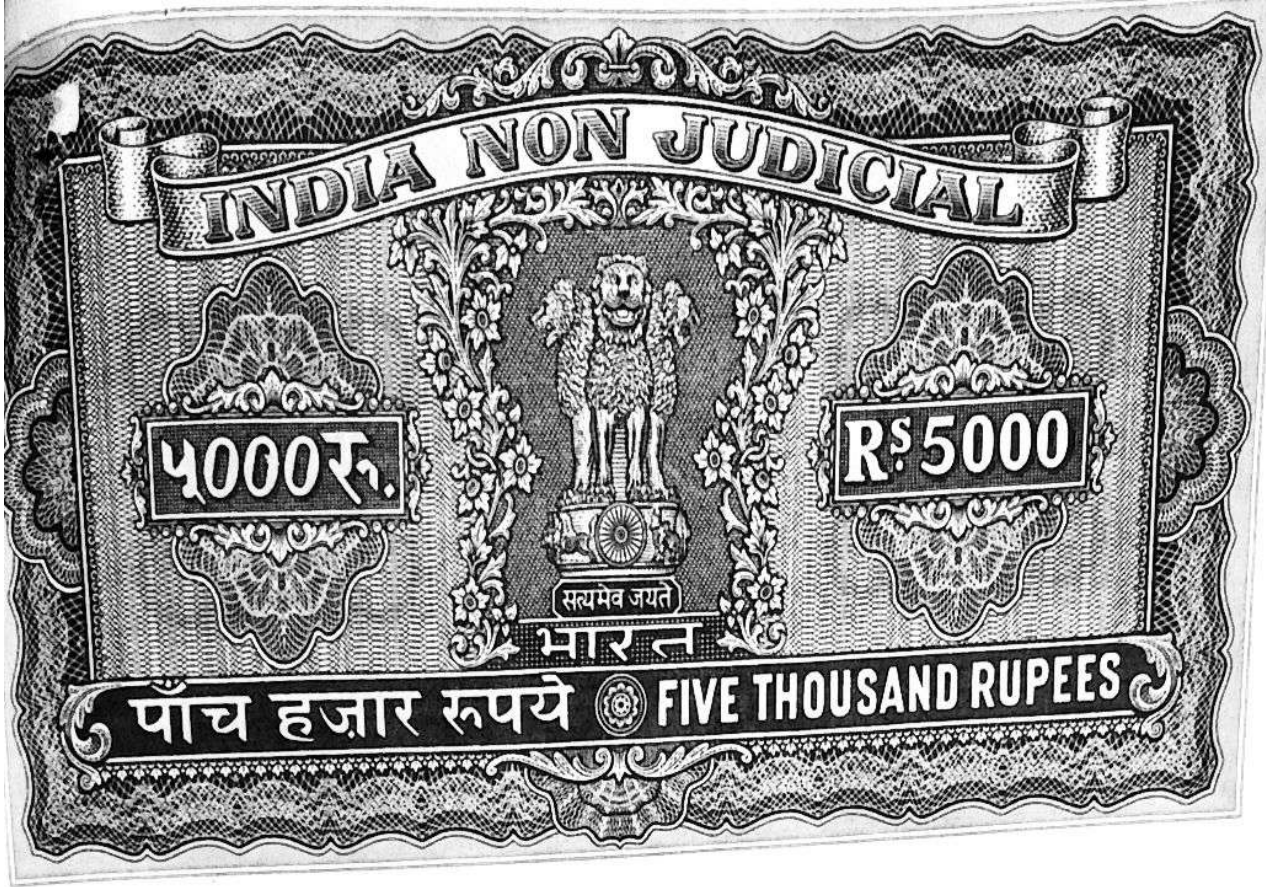
१४) यह इस अनुबन्ध की तैयारी पर आये तमाम आवश्यक खर्च और स्टाम्प ड्यूटी आदि सहित खर्च अन्तर्गति को सहन करना होगा ।

For STIC PENS (P) LTD.,

Managing Director

For Haryana State Paper Mills Ltd.

A.G.M. (I.A.)



:: ८ ::

१५) यह कि आवंटित फैक्टरी तथा प्लाट के लिए निगम द्वारा पानी प्राप्त कर सकेगा और उसे वाटर सप्लाई योजना द्वारा समय पर निश्चित की जाने वाली पानी सप्लाई की दरों के अनुसार अदाएगी करनी पड़ेगी ।

१६) यह कि यदि अंतरिती अनुबन्ध में दी गई तमाम शर्तों, और नियमों का पालन करता रहता है तो निगम अंतरिती के भी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उस सभी शान्तिपूर्ण ढंग से काम करने आश्वासन देता है और वह इकरार तथा घोषणा की जाती है कि जब तक इस सम्बन्ध में कोई अन्य मतलब नहीं उभरता ।

For STIC PENS (P) LTD.
Managing Director

For Haryana State Ind. Dev. Corp. Ltd.

A. M. U. A.
A.M.U.A.



:: ९ ::

(ए) प्रबन्धक निदेशक हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम या इस द्वारा किसी समक्ष अधिकारी के कार्यालय द्वारा इस बारे में अपनी राय दी जाएगी और वह समस्त आवश्यक कारगुजारी करेगा ।

(बी) ब्यान शब्द खरीददार द्वारा समय पर दिये गए ब्यान का मतलब है कि प्रबन्धक निदेशक हरियाणा राज्या औद्योगिक विकास निगम किसी भी मामले या मतभेद के उठने पर निगम समक्ष कोई भी व्यक्ति कार्यवाही कर सकता है ।

For STIC PENS (P) LTD.,

Managing Director

For Haryana State Ind. Dev. Corp. Ltd.

[Signature]
A.M. (I.A.)

पेज न० १०

500Rs.



:: १० ::

(सी) अंतरितो के मौजूदा दिए गए ब्यान के अतिरिक्त यह होगा कि उसके कानूनी उत्तराधिकारियों, अनुक्षतीपूर्ण प्रतिनिधियों, नियुक्त किये गए ठेकेदारों और कोई भी व्यक्ति निगम की अनुमति से कब्जा रख सकता है।

(डी) ब्यान शब्द अतिरिक्त बड़ी हुई भूमि की मालिक की क्षति पूर्ति के साथ शामिल होगी जैसा कि मौजूदा अनुबन्ध के पेटा

FOR STIC PENS (P) LTD.,

Renaru
Managing Director

for Haryana State Paper Mills, Gurgaon, Haryana

Amel
A.S.M. (I.A.)



:: ११ ::

०५ में दिया गया है और अन्य खर्च जिनका उल्लेख पैरा ३-६ और ८ में दिया गया है।

(डी) ब्यान शब्द सरकार मौजूदा अनुबन्ध में दिये गए शब्दों के प्रयोग का मतलब है कि इस सम्बन्ध में सरकार सचिव, हरियाणा टाउन एन्ड कन्ट्री प्लानिंग शहरी सम्पदाये विभाग या किसी समक्ष अधिकारी द्वारा कार्यवाही करेगा।

For STIC PENS (P) LTD.,

Manish
Managing Director

For Haryana State Indl. Dev. Corp. Ltd.

A.G.M. (I.A.)
A.G.M. (I.A.)

पेज न० १२

200Rs



:: १२ ::

गवाही में पार्टियों को क्रमशः अपने इनाम, स्थान और जगह का उल्लेख करना है।

गवाह

Satyu Bhan Sehrawal
 Satyu Bhan Sehrawal
 Agent, BURGASON.

For STIC PENS (P) LTD.

Managing Director

हस्ताक्षर

गवाह

Sh. B.L. Sharma
 B.L. Sharma Street No 18
 (Haryana State Indl. Dev. Corp. Ltd.)

हस्ताक्षर

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा इस काम
 के लिए समक्ष अधिकारी क

For Haryana State Indl. Dev. Corp. Ltd.

A.G.M. (I.A.)

हस्ताक्षर

तिथि

दिन

१९९३

पर

30th

तिथि

दिन

१९९३

गवाही की उपस्थिति में :

नाम

रिहायश

Harjit Singh

HSIDC Ltd.

नाम

रिहायश

B.L. Sharma

HSIDC Ltd.

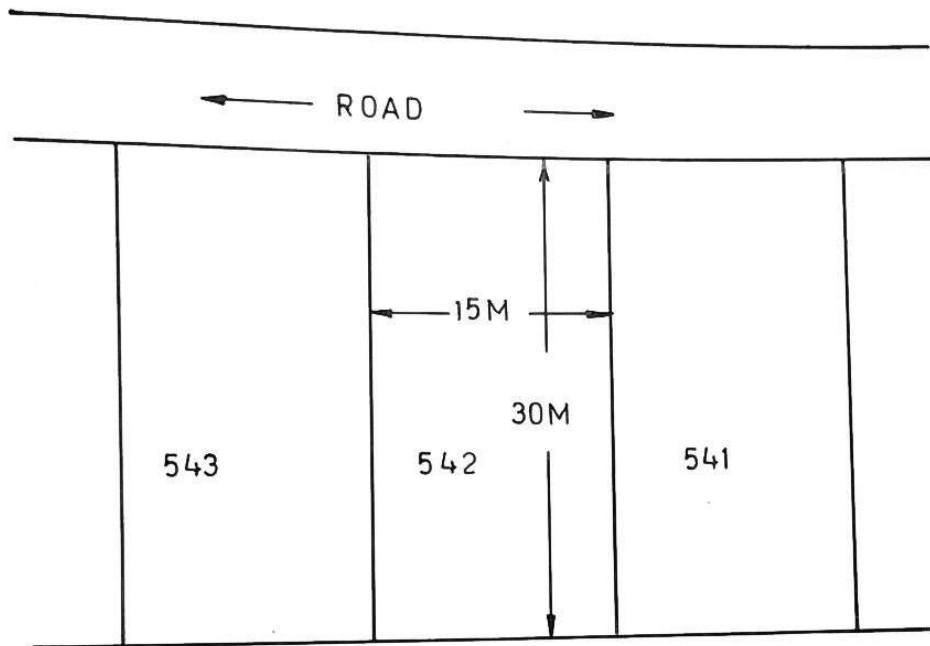
पेक्षा

पेक्षा

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 542 UDYOG VIHAR PH. V GURGAON
STIC PENS PVT LTD
SIZE 15M X 30M = 450 Sq. Mts.



Scale 2MM- 1M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
पुस्तक सच रजिस्ट्रार
गुर्गाँव

For STIC PENS PVT LTD

[Handwritten signature]

(Managing Director)